मैनुअल–4

कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान

कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम

उत्तराखण्ड पेयजल एवं स्वच्छता परियोजना (स्वजल)–परियोजना प्रबन्धन इकाई द्वारा वर्तमान में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), द्वितीय चरण कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के चयन हेतु मानक, सहयोगी संस्थाओं के चयन हेतु मानक, स्वच्छता योजनाओं हेतु डिजाइन मानक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के चयन/प्राथमिकीकरण हेतु मानक मुख्य हैं। जिनका विवरण निम्नवत हैः–

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वितीय चरण के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के चयन/प्राथमिकीकरणः

वर्तमान में स्वजल परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार की दिशा–निर्देशानुसार निम्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। जनपद स्तर में डी0पी0एम0यू0 में प्राप्त ग्राम पंचायतों के आवेदनों के आधार पर, भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के मार्गनिर्देशों के अनुसार, वर्तमान में ग्रामों में स्वच्छता सुविधाओं के निर्माण एवं रख रखाव के कार्यों को अभियान के रुप में किया जा रहा है। जिस हेतु प्राप्त धनराशि के आधार पर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्टेयरिंग कमेंटी द्वारा ग्राम पंचायतों के अंतिम चयन/प्राथमिकीकरण पर निर्णय लिया जाता है।

1. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण),

1. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), द्वितीय चरण कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु उत्तराखण्ड शासन के विभिन्न शासनादेशों में निम्न बिन्दु समाहित हैंः–
 1. जिला जल एवं स्वच्छता मिशनः जनपद स्तर पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन हेतु जिला पंचायत अध्यक्ष की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन का गठन ।
 2. जिला जल एवं स्वच्छता समिति (स्टीयरिंग कमेटी): जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की सहायता हेतु मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तर पर जल एवं स्वच्छता समिति (स्टीयरिंग कमेटी) का गठन ।
2. पेयजल एवं स्वच्छता सेक्टर में शीर्ष स्तर पर आवश्यक व्यवस्थायें करने के संबंध में।
 1- शीर्ष समिति (Apex body)
 2- अधिशासी समिति (Executive Committee)
 3- वित्त समिति (Finance Committee)
3. राज्य स्तर पर नीतिगत व्यवस्थायें करने के संबंध में।
4. उत्तराखण्ड राज्य में उपभोक्ता **(Users)** आधारित उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमितियों के गठन हेतु उपबंध किया गया है। यह व्यवस्था भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता सेक्टर में कार्यक्रम के निम्न मौलिक सुधार सिद्धान्तों को क्रियान्वित किये जाने हेतु आवश्यक हैः
 1) उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति का गठन
 2) उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति के कार्य एवं उत्तरदायित्व
 3) ग्राम पंचायतों के कार्य और उत्तरदायित्व
 4) उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति के खातों का संचालन एवं रखरखाव

जनता एवं जनप्रतिनिधियों से परामर्श हेतु नीति निर्धारण

उत्तराखण्ड ग्रामीण पेयजल एवं पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना (राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन–एस0डब्लू0एस0एम0) में नीति निर्धारण के सम्बन्ध में जनता या जन प्रतिनिधियों के परामर्श/भागीदारी का प्राविधान किया गया है।

जन प्रतिनिधियों की भागीदारीः

राज्य स्तर पर :

राज्य स्तर पर एस0डब्लू0एस0एम0 की शासी निकाय में सहयोगी संस्थाओं/पंचायती राज संस्थाओं के तीन प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व किया गया है। यह प्रतिनिधि प्रतिवर्ष नये चयन किये जाते हैं। अधिशासी निकाय में जन प्रतिनिधियों के होने के फलस्वरूप,एस0डब्लू0एस0एम0 में नीति निर्धारण के सम्बन्ध में जन प्रतिनिधियों द्वारा परामर्श/भागीदारी का प्राविधान किया गया है।

जनपद स्तर पर :

जनपद स्तर पर राज्य सरकार व राज्य जल एंव स्वच्छता मिशन (SWSM) के द्वारा निर्धारित नीतिगत निर्णयों के अनुसार एकल ग्राम पेयजल योजनाओं में नीतियों को लागू करने हेतु एवं जनपद स्तर पर मार्गदर्शन एवं अनुश्रवण के लिए जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन हेतु जिला पंचायत अध्यक्ष की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन का गठन किया गया है। जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन में सम्बन्धित जनपद के माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, चक्रक्रमानुसार जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामित तीन जिला पंचायत सदस्य, एवं चक्रक्रमानुसार जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामित तीन क्षेत्र पंचायत प्रमुख सदस्य हैं। अतः जनपद स्तर पर नीति निर्धारण एवं क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जन प्रतिनिधियों के परामर्श/भागीदारी का प्राविधान किया गया है।

ग्राम स्तर पर :

राज्य में पेयजल एवं स्वच्छता की योजनाओं को ग्राम स्तर पर क्रियान्वित किये जाने के लिये ग्राम स्तर पर उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 12 के अन्तर्गत संगठित ग्राम पंचायत की प्रमुख भूमिका है।

ग्राम स्तर पर स्थायी संस्थागत व्यवस्था हेतु उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 29 की उपधारा (3) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के अधीन, उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति/उपसमितियों के नाम से ज्ञात उपसमिति/उपसमितियों का गठन अधिसूचना संख्या 308/86(16)/2005 दिनांक 19 मई, 2005 द्वारा किया गया है।

जन साधारण को सूचना प्रदान किये जाने की व्यवस्थाः– स्वजल परियोजना के द्वारा संचालित सभी कार्यक्रमों में सूचना, शिक्षा, सम्प्रेषण गतिविधियाँ महत्वपूर्ण घटक हैं। सूचना, शिक्षा, सम्प्रेषण के अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर, जनपद स्तर, तथा सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधियों हेतु कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षणों आदि के माध्यम से क्षमता विकास किया जाता है। इसके अतिरिक्त कार्यक्रमों की रणनीति, बजट एवं बजट संचालन व्यवस्था, प्रबन्धन एवं रखरखाव व्यवस्था के सम्बन्ध में सभी सहयोगी ग्रामवासियों एवं संस्थाओं को सूचना उपलब्ध करायी जाती है।